## RFC - Branch Offices

| S.No. | Branches | Address | Direct Nos. |
|---|---|---|---|
| 1 | Abu Road | RIICO Flats, Ambaji Indstrial Area, Abu Road | 02974-226393 |
| 2 | Alwar | DIC Building, Near Phool Bagh, Alwar | 0144-2700754 |
| 3 | Bharatpur | 239, Krishna Colony, Bharatpur | 05644-222779 |
| 4 | Bhilwara | 1, Shriram Colony, Civil Lines, Bhilwara | 01482-220712 |
| 5 | Bhiwadi | Udyog Bhawan, RIICO Chowk, Bhiwadi | 01493-220939 |
| 6 | Bikaner | Chopra Katla, Rani Bazaar, Bikaner | 0151-2200918 |
| 7 | Dausa | Collectorate Circle, DIC Campus, Dausa | 01427-223547 |
| 8 | Jaipur (Central) | C-96, Jagan Path, Chomu House, C Scheme, Jaipur | 0141-2369784 |
| 9 | Jaipur (North) | Road No. 4, VKI Area, Jaipur | 0141-2330538 |
| 10 | Jaipur (South) | EPIP Industrial Area, Sitapura, Jaipur | 0141-2770433 |
| 11 | Jhalawar | DIC Campus, Kota Road, Jhalawar | 07432-232219 |
| 12 | Jhunjhunu | DIC Campus, RIICO Industrial Area, Jhunjhunu | 01592-250322 |
| 13 | Jodhpur – I | Mini Udyog Bhawan, New Power House Road, Section 7, Opp. LMJ Maruti Showroom, Jodhpur | 0291-2438286 |
| 14 | Jodhpur – II | Mini Udyog Bhawan, New Power House Road, Section 7, Opp. LMJ Maruti Showroom, Jodhpur | 0291-2430949 |
| 15 | Kishangarh | 'Ganesh Square' 1st Floor, A-7 To A-11, Near RIICO Industrial Area, Madanganj | 01463-297007 |
| 16 | Kota | A-209, Talwandi, Kota | 0744-2411658 |
| 17 | Makrana | Vijay Palace Hotel Annexe, Sadar Bazaar, Makrana | 01588-241102 |
| 18 | Pali | DIC Building, Industrial Area, Mandiya Road, Pali | 02932-231262 |
| 19 | Sikar | Near Community Centre, RIICO Industrial Area, Sikar | 01572-245552 |
| 20 | Sawai Madhopur | 52, Indira Colony, Sawai Madhopur | 07462-220430 |
| 21 | Sriganganagar | DIC Campus, Opp. Police Lines, RIICO Industrial Estate, Sriganganagar | 0154-2440306 |
| 22 | Udaipur | S-1, MIA, Madri, Udaipur | 0294-2493153 |

*For Further Details/Information Please Contact Our Branch Office/Head Office*

RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION
Entrepreneur First

**Rajasthan Financial Corporation**
H.O. : Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur-302005 Ph. : 0141-2385522 Fax : 0141-2385503
Email : info@rfc.rajasthan.gov.in Website : www.rfc.rajasthan.gov.in

August, 2020

Printed by : Co-operative Press Ltd., Jaipur 0141-2751417

अशोक गहलोत
माननीय मुख्यमंत्री
राजस्थान

# युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना

## राजस्थान वित्त निगम
## Rajasthan Financial Corporation

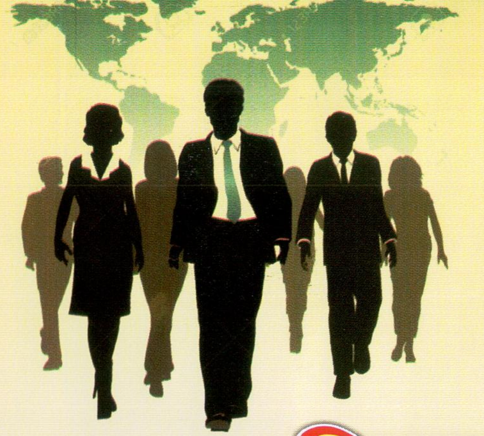

# युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना

राजस्थान वित्त निगम द्वारा युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए "युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना" का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

राज्य सरकार ने 1000 उद्यमियों के उद्योग लगाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना में कुछ संशोधन किये हैं।

संशोधन के उपरांत युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पात्र उद्यमी, जिनके पास भूमि की उपलब्धता अपने स्तर पर सुनिश्चित है, ऋण हेतु आवेदन निगम में प्रस्तुत कर सकते हैं।

## युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के मुख्य बिन्दु

**पात्रता की शर्तें :-**

1. 45 वर्ष तक की आयु के उद्यमी जिनके पास आई.टी.आई./डिप्लोमा/हायर सैकण्डरी (10+1)/सीनियर सैकण्डरी (10+2) की योग्यता है, आवेदन करने योग्य हैं। एक से अधिक प्रवर्तकों की अवस्था में कम से कम एक की आयु एवं शैक्षणिक योग्यता योजनानुसार है एवं ऐसे प्रवर्तक की उद्यम में अंशभागिता कम से कम 50 प्रतिशत है, आवेदन करने योग्य माना जावेगा।
2. योजनान्तर्गत औद्योगिक इकाई व सेवा क्षेत्र में उद्यम जिसमें होटल (रेस्टोरेन्ट सहित), हॉस्पिटल (डाइग्नोस्टिक क्लिनिक एवं डेन्टल क्लिनिक सहित) एवं सूचना प्रौद्योगिकी आदि शामिल है, जो कि जिला मुख्यालय स्थित विकास प्राधिकरण एवं नगर सुधार न्यास की सीमा में तथा मुख्य नगरों में स्थापित किये जाने हैं और यदि आर्थिक व तकनीकी रूप से व्यवहार्य है तो विचार किया जा सकता है।

   अ. सूचना प्रौद्योगिकी की परियोजनाओं को केवल राज्य के मुख्य नगरों एवं जिला मुख्यालय पर व्यावसायिक भूमि/भवन में स्थापित करने की अनुमति दी जायेगी।

   ब. सेवा क्षेत्र की इकाईयों के व्यावसायिक स्थान अर्जन करने पर 30 प्रतिशत मार्जिन पर वित्तीय सहायता परियोजना का भाग मानते हुए की जायेगी।

3. ग्राम पंचायत के अधीन मुख्य कस्बों में स्थापित होने वाली सेवा क्षेत्र की इकाइयाँ जो रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया/वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य उपयुक्त स्थान पर स्थापित की जा रही है, उन पर भी विचार किया जा सकता है।
4. होटल परियोजनाएं यदि 4 या 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थापित की जाती है तो उन पर विचार किया जा सकता है।
5. वर्तमान में चल रही इकाई (चाहे किराए की सम्पत्ति या स्वयं की सम्पत्ति में हो) के प्रवर्तक (प्रोपराइटर, साझेदार एवं निदेशक) भी यदि नई इकाई योजना में अनुमति प्राप्त स्थानों पर स्थापित करते हैं तथा अन्यथा भी योग्य हैं, ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
6. यदि उद्यमी कनवर्टेड भूमि पर भी उद्योग लगाता है तो भी निगम के नियमानुसार ऋण लेने योग्य है।
7. उद्यमी को अनुमोदित परियोजना के अनुसार यंत्र-संयंत्र में 75% निवेश करना अनिवार्य होगा।

**ऋण राशि :** योजना के अन्तर्गत अधिकतम ऋण सीमा रूपये 500.00 लाख है।

**चयन प्रक्रिया :** पात्र अभ्यर्थियों जिन्होंने उपरोक्तानुसार अपने उद्योग अथवा सेवा क्षेत्र के उद्यम स्थापित करने के लिए भूमि की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली है अपना पूर्ण ऋण आवेदन पत्र निगम में प्रस्तुत कर सकते हैं। वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ऋण आवेदनों का चयन स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया जावेगा। चयनित ऋण पत्रावलियाँ नियमानुसार प्रसंस्करण एवं मूल्यांकन कर सक्षम समिति द्वारा स्वीकृत की जायेगी। स्वीकृत परियोजनाओं में निगम के नियमानुसार ऋण वितरण किया जायेगा।

**ऋण पर बयाज की दर :** किश्तों का समयानुसार भुगतान करने पर राज्य सरकार से ब्याज में छूट (Interest Subvention) 6 प्रतिशत, प्रथम रूपये 150.00 लाख तक के ऋण पर प्राप्त होगी। अतः ब्याज दर समयानुसार पुनर्भुगतान करने पर रूपये 150.00 लाख के ऋण पर 7.50 प्रतिशत प्रभावी होगी (13.50-6=7.50%)।

यदि स्वीकृत ऋण रूपये 150.00 लाख से अधिक हैं तो रूपये 150.00 लाख से अधिक ऋण राशि पर निगम की सामान्य ऋण योजना में लागू ब्याज दर ही प्रभावी होगी।

**पुनर्भुगतान अवधि :** ऋण पुनर्भुगतान अवधि 10 वर्ष होगी जिसमें 6 से18 माह की अवधि का मोरेटोरियम पीरियड शामिल है।

**प्रवर्तकों का अंशदान :** योजनान्तर्गत न्यूनतम प्रवर्तक अंशदान एवं प्रतिभूति मार्जिन 30 प्रतिशत एवं अधिकतम ऋण पूंजी अनुपात 2:1 है।

**प्रत्याभूतिः**

1. परियोजना की भूमि, भवन, यंत्र पर निगम का प्रथम प्रभार होगा।
2. प्रवर्तक/भागीदार/निदेशक की व्यक्तिगत गारन्टी।
3. स्वीकृत ऋण राशि एवं भूमि भवन के मूल्य में अन्तर के बराबर समपार्श्विक प्रत्याभूति ली जावेगी।

**आवेदन, प्रोसेसिंग एवं कानूनी दस्तावेजों का पंजीकरण शुल्क :** शून्य

**नोट :** आवेदन पत्र निगम में **online** भी प्रस्तुत कर सकते है। विस्तृत जानकारी के लिए निगम के शाखा कार्यालयों अथवा मुख्यालय से सम्पर्क किया जा सकता हैं।